

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 83 दिनांक- 07.05.2025
आदेश

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा प्रभारी प्रशासन/प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, कासगंज के माध्यम से इस आशय की आख्या दिनांकित 07.05.2025 प्रस्तुत की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: 4379/Admin.(E-I) Section/XC-4/दिनांकित:11.04.2025 द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर दिनांक 14.04.2025 को अवकाश घोषित किया गया है तथा इसके स्थान पर किसी चतुर्थ शनिवार को न्यायालय कार्य दिवस के रूप में घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक आदेश संख्या 317 दिनांकित 23.12.2024 द्वारा जनपद न्यायालय कासगंज में डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर पूर्व से ही दिनांक 14.04.2025 को स्थानीय अवकाश घोषित था। माननीय न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालयों हेतु जारी कैलेण्डर वर्ष 2025 के टिप्पणी संख्या-3 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को जिलाधिकारी से विचार-विमर्श करके 05 दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर अवकाश घोषित किये जाने की सूचना समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर दी गयी थी, किन्तु इसके स्थान पर किसी चतुर्थ शनिवार को न्यायालय कार्य दिवस के रूप में घोषित किये जाने एवं एक दिवस के स्थानीय अवकाश के सम्बन्ध में आदेश निर्गत नहीं किया गया था। कासगंज बार एसोसिएशन द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांकित 07.05.2025 के माध्यम से डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 12.05.2025 को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या के आलोक में डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 12.05.2025 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तथा इसके स्थान पर माह जुलाई, 2025 में दिनांक 26.07.2025 को पड़ने वाले चतुर्थ शनिवार को न्यायालय कार्य दिवस के रूप में घोषित किया जाता है।

घोषित किये गये अवकाश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित किया जाये।
समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

(रामेश्वर)
जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।
07-5-25
District Judge
Kasganj

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कासगंज।
- 2- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कासगंज।
- 3- अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जनपद कासगंज।
- 4- जिलाधिकारी, कासगंज।
- 5- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
- 6- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज।
- 8- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज।
- 9- जिला अभियोजन अधिकारी, कासगंज।
- 10- समस्त बार एसोसियेशन, कासगंज को सूचनार्थ।
- 11- केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 12- सिस्टम आफिसर आदेश की सूचना जनपद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सत्य प्रतिलिपि

प्रशासनिक लिपिक
जनपद न्यायालय, कासगंज